मिलाकर साधारण सभा का गठन होगा।

बैठकें : साधारण सभा की सामान्य बैठक वर्ष में कम से कम एक बार अवश्य होगी और विशेष बैठक किसी भी समय बुलाई जा सकती है। सभी बैठकें अध्यक्ष द्वारा बुलाई जाएगी।

सूचनाविधि : साधारण सभा की सामान्य बैठक की सूचना बैठक की दिनांक से कम से कम 10 दिन पूर्व व विशेष बैठक की सूचना बैठक के दिनांक से कम से कम 3 दिन पूर्व लिखित रूप से सभी को दी जाएगी। सूचना अण्डर पोस्टल सर्टीफिकेट, तार अथवा विशेष मैसेन्जर से भी दी जा सकती है।

गणपूर्ति : साधारण सभा के कुल सदस्यों की संख्या का 2/3 गणपूर्ति कोरम माना जाएगा, किन्तु कोरम के अभाव में बैठक स्थगित होने पर अगली बैठक में कोरम का प्रतिबन्ध न होगा।

साधारण सभा के अधिकार एवं कर्तव्य :

1. प्रबन्धकारिणी समिति का निर्वाचन हर पांचवे वर्ष करके प्रबन्धकारिणी समिति का गठन करना, विशेष परिस्थिति में रिक्त पदों पर चुनाव शेष काल के लिए बीच में ही किया जा सकता है।
2. संस्था की वार्षिक रिपोर्ट पास करना।
3. संस्था का वार्षिक बजट पास करना।
4. संस्था की नीतियों का निर्धारण करना।
5. साधारण सभा के सदस्यों में से ही प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियों एवं सदस्यों को निर्वाचित करना।
6. साधारण सभा संस्था के नियमों की रचना करेगी, नियमों में परिवर्तन संशोधन एवं परिवर्द्धन आदि अपने 2/3 सदस्यों के बहुमत पर कर सकेगी।